महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-86/996/84-डे0ई0-13-मु0स0/2013

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 04 दिसम्बर, 2013

विषय:- श्री केवल प्रसाद, प्रबन्धक सचिवालय प्रथम जलपानगृह, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा 48 घण्टे या इससे अधिक समय तक जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध रहने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-765/सचि0स0से0-(349), दिनांक 19 नवम्बर, 13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या श्री केवल प्रसाद के स्वत: निलम्बन तथा स्वत: सेवा में बहाली संबंधी बिन्दु नियमावली 99, के नियम-4(3) में उल्लिखित है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के साथ ही साथ यह भी अवगत करायें कि प्रकरण से संबंधित मा0 न्यायालय में योजित वाद संख्या-13198/10 का निस्तारण दिनांक 14-08-13 को हो चुका है, तो श्री केवल प्रसाद के निलम्बन अवधि के वेतन के बारे में क्या निर्णय लिया गया है। कृपया उक्त के संबंध में तथ्यात्मक सूचना शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in/